1/02/23

आज यह पत्रावली "राष्ट्रीय लोक अदालत" आयोजन के दौरान मेरे समक्ष प्रस्तुत हुई। पक्षकारान के अभिभाषक उपस्थित। इस प्रकरण में दिनांक 02/09/21 को अपीलान्ट की और से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उत्तरवादी सं. 3 पुनाराम की मृत्यु पूर्व में हो जाने से उसके विधिक प्रतिनिधी गण को रिकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया गया। उभय पक्ष को प्रार्थना पत्र पर सुना गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन एव अवलोकन किया गया। मृतक पुनाराम के वारीसान को रिकॉर्ड पर लिये जाने हेतु कोई विरोध उदालत के सम्मुख उपस्थित नही किया गया।

अत: मृतक पुनाराम के वारीसान को उसके स्थान पर उत्तरवादी सं. 3/1 ता 3/5 के रूप में प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार अपील शीर्षक मे संशोधन किया जावे। इसके पश्चात पक्षकारों के विद्वान वकुलाय की बहस अपील सुनी गयी। निर्णय सुनाया गया।

अपील अपीलार्थिया आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। तथा आदेश इन्तकाल जैरअपील उसके हिस्से की हद तक निरस्त की जाती है।

प्रकरण तहसीलदार कोलायत को प्रति प्रेषित कर निर्णय मे दिये गये विवेचन के आधार पर पुन: सुनवाई कर बाद सुनवाई विधिसम्मत निर्णय लेने का आदेश किया गया।

विस्तृत आदेश जुदागाना लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल पत्रावली दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

कोलायत जिला–बीकानेर